न्यायालय जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारी, कमर उल जमान चौधरी, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या 01/2018/निगरानी

1. शंकरलाल लुहारिया पुत्र छगनलाल (फौत)
   1/1. विमलादेवी पत्नि शंकरलाल
   1/2. अरविन्द कुमार पुत्र शंकरलाल
   1/3. संगीता पुत्री शंकरलाल
2. शिवदयाल पुत्र छगनलाल

   समस्त जाति दर्जी, निवासीगण दर्जीयों की ढ़ाणी तन जगमालपुरा, पंचायत समिति पिपराली, जिला–सीकर (राज.)

–निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत भादवासी, पंचायत समिति पिपराली, जरिये सरपंच
2. पंचायत समिति पिपराली, जिला–सीकर, जरिये विकास अधिकारी
3. सहायक अभियंता, अ.वि.वि.नि.लि. वृत पिपराली, जिला–सीकर

–गैर निगरानीकर्ता

उपस्थितः–

1. श्री नानूराम बुडानिया, अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से।
2. श्री नरेन्द्र कुमार फगेड़िया, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्त्ता सं. 3 की ओर से।

निगरानी विरूद्ध प्रस्ताव दिनांक 23.10.2017 ग्राम पंचायत पिपराली भादवासी पं.स.पिपराली के द्वारा ट्यूबवैल को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किये जाने के सम्बन्ध में

निर्णय

दिनांकः 11 जून, 2023

1. निगरानीकर्ता की ओर से वकील श्री नानूराम बुडानिया ने ग्राम पंचायत भादवासी पंचायत समिति पिपराली के प्रस्ताव दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार से होना अंकित किया हैः–

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

(1) ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर मे अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 694 रकबा 0.02 है. गै.मु.चाह जिसके हिस्सेदार शंकरलाल महेश कुमार पुत्रगण छगनलाल ने अपने हिस्से में से 1/2 हिस्से की भूमि को दिनांक 27.07.2011 को ग्राम पंचायत भादवासी को पीने के पानी की व्यवस्था करने के लिए दान में दी जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा उक्त जगह ट्यूबवैल निर्मित कर उस पर विद्युत कनेक्शन लगावाया, जिसका खाता संख्या 2325/0430 है, जो वर्तमान मे ग्रामपंचायत भादवासी के नाम से है। ग्राम पंचायत ने दिनांक 23.10.2017 को प्रस्ताव लेकर उक्त विद्युत सम्बन्ध को विच्छेद करने के लिए गैर निगरानीकर्त्ता संख्या 3 को आदेशित कर दिया। ग्राम पंचायत ने यह प्रस्ताव लिया कि विद्युत बिलके चार–पांच हजार रूपये प्रतिबिल चुकाने की कोई सार्थकता नजर नही आ रही है, जबकी अधिनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा ट्यूबवैल निर्मित करवाकर विद्युत कनैक्शन स्थापित होने के बाद से मात्र 1 बिल को छोड़कर समस्त बिलों का भुगतान दर्जियों की ढ़ाणी के निवासीगण करते चले आ रहे हैं। उक्त तथ्य ग्राम पंचायत के रिकार्ड से भली–भांति प्रमाणित है।

(2) निगरानीकर्त्ता सहित दर्जीयों की ढ़ाणी के निवासीगणों के लिए उक्त ट्यूबवैल के अलावा ओर कोई व्यवस्था नहीं है। सरपंच द्वारा उक्त ट्यूबवैल पर लगे विद्युत सम्बंध को कटवाये जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 2 को आदेशित किया गया है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव मे बताया है कि उक्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम से नहीं है, जबकी उक्त भूमि को दिनांक 27.07.2011 को दान में दी गई थी, जो स्टाम्प पर लिखी गई थी एवं नोटेरी से प्रमाणित की गई थी। उसी दान पत्र के आधार पर अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव लेकर ही ट्यूबवैल का निर्माण करवाकर विद्युत संबन्ध स्थापित करवाया गया था। दान पत्र पंचायत के रिकार्ड में है।

(3) अधिनस्थ ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव मे बताया गया है कि उक्त ट्यूबवैल को मात्र सुरेश कुमार एवं छगनलाल दोनों ही उपयोग व उपभोग कर रहे है, जबकी उक्त ट्यूबवैल को दर्जियो की ढाणी के करीबन 100 सदस्य उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। प्रस्ताव में यह लिखा गया था कि विकास अधिकारी को ट्यूबवैल का

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने हेतु लिखा जावे कि वो सहायक अभियन्ता को लिखे कि विद्युत सम्बन्ध विच्छेद किया जावे। लेकिन फिर प्रस्ताव के विपरीत स्वयं ग्राम पंचायत ने ही दिनांक 26.02.2017 को अपने आप ही गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 3 को विद्युत सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये लिख दिया जिस पर गैरनिगरानीकर्त्ता संख्या 3 द्वारा सम्बन्ध विच्छेद करने का आदेश निकाल दिया है व अब कभी भी सम्बन्ध विच्छेद किया जा सकता है। प्रस्ताव के विपरित ग्राम पंचायत ने सम्बन्ध विच्छेद करने का आदेश पारित किया है।

(4) दिनांक 22.02.2018 को अपार्थी संख्या 3 निगम के कर्मचारी आये तथा सम्बन्ध विच्छेद करने लगे तब निगरानीकर्ता ने कहा कि इस विद्युत सम्बन्ध का कोई बकाया भी नहीं है फ़िर भी कनेक्शन क्यों काट रहे हो तब उन्होनें जैर निगरानी प्रस्ताव व आदेश की फोटोप्रति उपलब्ध करवायी तो उक्त प्रस्ताव आदेश का निगरानीकर्ता को पहली बार पता चला जिस पर ग्राम पंचायत के पंचो से मिले तब उन्होनें ऐसे प्रस्ताव के बाबत अनभिज्ञता जाहिर की। दर्जीयों की ढ़ाणी के लोगों ने इक्ट्ठा होकर सरपंच को बताया तो उन्होनें कहा कि गलती से पहले वाले प्रस्ताव को नहीं देखा गया इसलिए गलत प्रस्ताव पारित हो गया है। इसलिए शीघ्र ही उसको वापिस ले लिया जावेगा। लेकिन इसके बावजूद भी उक्त प्रस्ताव को वापस नहीं लिया गया।

(5) ग्राम पंचायत के प्रस्ताव दिनांक 23.10.2017 के बारे में निगरानीकर्ता को पता नहीं था। दिनांक 27.02.2018 को अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने कनेक्शन काटने एवं पाईप व मोटर निकालकर निगरानीकर्ता को पीने के पानी से वंचित करने की कार्यवाही करने एवं नकल देने से स्पष्ट मना कर देने पर जानकारी के दिन से निगरानी अन्दर मियाद सादर प्रस्तुत है। मियाद को कन्डोन करवाने के लिये अलग से दफा 5 मियाद अधिनियम का मय शपथ पत्र पेश किया जा रहा है।

(6) अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ ग्राम पंचायत का प्रस्ताव दिनांक 23.10.2017 को निरस्त फरमाया जावे।

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

2. निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकर्ता को जरिये नोटिस तलब किया गया व ग्राम पंचायत भादवासी से रिकॉर्ड तलब किया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित आये एवं जवाब पेश किया। निगरानीकर्ता संख्या 3 की ओर से पेश जवाब के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं:–

(1) ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर में वार्ड नम्बर–1, दर्जियों की ढ़ाणी में निर्मित ट्यूबवैल में गैर निगरानी कर्ता संख्या–1 ग्राम पंचायत भादवासी के नाम से एस.आई.पी. श्रेणी में जवाबदाता निगम कार्यालय के द्वारा एक विद्युत कनेक्शन खाता संख्या–2303/0163 स्वीकृत भार 3 एच.पी. का दिया हुआ है जिसके उपयोग उपभोग की राशि बकाया नहीं है। ग्राम पंचायत भादवासी पंचायत समिति पिपराली जिला सीकर की मीटिंग दिनांक 23.10.2017 के प्रस्ताव संख्या–2 में निर्णय लिया गया कि उक्त ट्यूबवैल जहां लगी है वह जगह ग्राम पंचायत के नाम दर्ज नहीं है व वर्तमान में इस ट्यूबवैल से श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री छगनलाल दर्जी व उसका भाई शंकरलाल पुत्र छगनलाल दर्जी दोनो ही उसका उपयोग कर रहे है और वहां पर पानी के और भी संसाधन मौजूद है। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विद्युत बिल के चार–पांच हजार रूपये प्रतिबिल चुकाने की कोई सार्थकता नजर नहीं आ रही है। इसलिए उक्त विद्युत कनेक्शन को विच्छेद करवाने के लिए विकास अधिकारी एवं सहायक अभियंता (O&M) अ.वि.वि.नि.लि. पिपराली मु. सीकर को लिखा जावें।

(2) ग्राम पंचायत भादवासी के उक्त प्रस्ताव संख्या–2 दिनांक 23.10.2017 के तहत कार्यालय ग्राम पंचायत भादवासी ने जवाबदाता निगम कार्यालय में एक पत्र कमांकः ग्रा.पं.भादवासी/443 दिनांक 25.10.2017 प्रेषित कर वार्ड नम्बर 1 दर्जियों की ढाणी ग्राम जगमालपुरा में स्थित उक्त ट्यूबवैल में लगे इस विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेद करने के लिए लिखा गया। जिस पर जवाबदाता निगम के द्वारा कार्यवाही करते हुए स्थायी विद्युत सम्बन्ध विच्छेद आदेश पुस्तक संख्या ए–2379 पृष्ठ संख्या–79 दिनांक 29.01.2018 को जारी किया गया। परन्तु जिला कलेक्टर सीकर के द्वारा दिनांक 05.03.2018 को उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करने बाबत दिनांक 20.03.2018 तक स्थगन आदेश पारित किया गया। जिस

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

पर जवाबदाता निगम के द्वारा उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जा सका। इसलिए उक्त विद्युत कनेक्शन वर्तमान में चालू है व इसके बिलों की राशि जमा करवायी जा रही है, व कोई राशि बकाया नहीं है। अब माननीय न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जा सकेगी या माननीय न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। निगरानीकर्ता ने जवाबदाता निगम के विरूद्ध गलत आधारो पर निगरानी प्रस्तुत की है।

(3) अतः जवाब निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानीकर्तागण की निगरानी गैरनिगरानीकर्ता संख्या–3 विद्युत निगम के विरूद्ध खारिज फरमायी जावें।

3. निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित आये एवं जांच रिपोर्ट पेश की है। निगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से पेश जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य संक्षेप में निम्नानुसार हैं:–

(1) ग्राम जगमालपुरा में सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल दर्जी के घर के सामने गै.मु.आबादी भूमि में प्रस्ताव दिनांक 23.10.2017 से सिंगलफेस ट्यूबवैल का निर्माण सरकार द्वारा करवाया गया था। इस ट्यूबवैल का विद्युतबिल सरपंच ग्राम पंचायत भादवासी के नाम से आता है, जिसका भुगतान सुरेश कुमार, शंकरलाल द्वारा ही किया जाता है।

(2) निगरानीकर्त्ता शंकरलाल की मृत्यु हो चुकी है। उक्त ट्युब वैल से सुरेश कुमार पुत्र छगनलाल तथा शंकरलाल के वारिस पुत्र आदि पानी का उपयोग कर रहे हैं। वर्तमान में ट्यूबवैल चालू है।

4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

दौराने बहस निगरानीकर्त्ता के अधिवक्ता ने अपनी निगरानी में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया किया कि निगरानीकर्त्ता द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत को दान में दी हुई भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा ट्यूबवैल का निर्माण करवाकर विद्युत कनेक्शन

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

लिया गया था। परन्तु उक्त विद्युत सम्बन्ध के बिलों का भुगतान निगरानीकर्त्ता द्वारा वहन किया जा रहा है। अतः निगरानीकर्त्ता की अपील स्वीकार की जावे।

ग्राम पंचायत की ओर से उपस्थित ग्राम विकास अधिकारी ने भी उनके द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए ट्यूबवैल पर स्थापित विद्युत सम्बन्ध के बिलों का भुगतान निगरानीकर्त्ता एवं उसके परिवार तथा ग्रामवासियों द्वारा वहन किये जाने का कथन किया है। दौराने बहस ग्राम विकास अधिकारी ने ये कथन भी किया है कि उक्त ट्यूबवैल का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है।

विद्युत विभाग की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जगमालपुरा में स्थित उक्त ट्यूबवैल में लगे इस विद्युत कनेक्शन को स्थायी रूप से विच्छेद करने के लिए लिखा गया। परन्तु जिला कलेक्टर सीकर के द्वारा दिनांक 05.03.2018 को उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं करने बाबत दिनांक 20.03.2018 तक स्थगन आदेश पारित किया गया था। जिसकारण उक्त विद्युत कनेक्शन विच्छेद नहीं किया जा सका। इसलिए उक्त विद्युत कनेक्शन वर्तमान में चालू है व इसके बिलों की राशि जमा करवायी जा रही है, व कोई राशि बकाया नहीं है। अब न्यायालय का स्थगन आदेश समाप्त होने पर विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने की कार्यवाही की जा सकेगी या न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया जावेगा उसकी पालना की जावेगी।

न्यायालय जिला कलक्टर सीकर (राज.)

5. हमने उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, प्रस्तुत कानूनों एवं नज़ीरों का सम्मानपूर्वक अध्ययन किया। जिससे निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं, कि:–

(1) ग्राम जगमालपुरा तहसील व जिला सीकर में वार्ड नम्बर–1, दर्जियों की ढाणी में निर्मित ट्यूबवैल में गैर निगरानी कर्ता संख्या–1 ग्राम पंचायत भादवासी के नाम से एस.आई.पी. श्रेणी में जवाबदाता निगम कार्यालय के द्वारा एक विद्युत कनेक्शन खाता संख्या–2303/0163 स्वीकृत भार 3 एच.पी. का दिया हुआ है जिसके उपयोग उपभोग की राशि बकाया नहीं है। ट्यूबवैल पर स्थापित विद्युत कनेक्शन

कमर चौधरी
जिला कलक्टर, सीकर

का बिल उपभोगकर्त्ता/ग्राम वासी चुका रहे हैं। ट्यूबवैल का विद्युत भार ग्राम पंचायत पर नहीं है एवं ट्यूबवैल का सार्वजनिक उपयोग किया जा रहा है।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्त्ता की निगरानी **आंशिक स्वीकार** की जाती है। ग्राम पंचायत भादवासी को निर्देशित किया जाता है कि निगरानीकर्त्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में अंकित ट्यूबवैल पर स्थापित विद्युत कनेक्शन चालू रखा जावे। ग्रामवासी अथवा उपभोगकर्त्ता आदि यदि विद्युत कनेक्शन का बिल नहीं चुकाते हैं, तो ग्राम पंचायत विद्युत कनेक्शन कटवाने के लिए स्वतंत्र है। स्थानीय ग्रामवासी यदि उक्त ट्यूबवैल से जल का कनेक्शन प्राप्त करना चाहते हों तो वे उन्हें मना नहीं करेंगे।

7. निर्णय आज दिनांक 11 जून, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर उल जमान चौधरी)
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर